

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

सं०-१/पी०सी०आर०(विविध)०७-६०-०१/२०१२- २७

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना ।

पटना, दिनांक - 15.06.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के आलोक में अनु० जाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति ।

आदेश- स्वीकृत ।

2. कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं०-44 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0011-छात्रवृत्तियां और वृत्तियां-विषय शीर्ष-0011.33.02-मुआवजा-विपत्र कोड सं०-44-2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है ।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस स्वीकृत राशि से आवंटन जिलों को मांग के आलोक में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया जायेगा ।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे ।

5- इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-1 [नियम-12(4)] में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीडितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत (i) पीडित/पीडिता को वैधिक सहायता, (ii) पीडित/पीडिता को यात्रा भत्ता, (iii) पीडित/पीडिता को दैनिक भत्ता, (iv) पीडित/पीडिता को राहत और पुनर्वास (v) प्रचार-प्रसार (vi) जागरूकता (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क०व०) के अधीन अनु० जाति और अनु० जनजाति संरक्षण कक्ष, (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी ।

6- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे । साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ।

7- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा । इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे ।

8- इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-04-2018 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे ।

9- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सं०- 1/पी०सी०आर०(विविध)०७-६०-०१/२०१२- के पृ०- /टि० पर प्राप्त है ।

10- इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है ।


11- स्वीकृत राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-1/पी0सी0आर0(विविध)07-60-01/2012-27 पटना, दिनांक 15.06.17  
प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग/पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध  
अनुसंधान विभाग बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0  
जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति  
कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित ।

ज्ञापांक-1/पी0सी0आर0(विविध)07-60-01/2012-27 पटना, दिनांक 15.06.17  
प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव 13-6-17

  
सरकार के सचिव 13-6-17